Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 1 | May 2025 - October 2025 | pp. 64-69

जॉन रॉल्स : न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Research Reinforcement
ISSN 2348-3857

राकेश कुमार

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़, सीकर (राजस्थान)

शोध सारांश

समकालीन समय में जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धान्त न्याय के प्रभावशाली सिद्धान्तों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धान्त के माध्यम से सामाजिक विषमता से मुक्त व समानता पर आधारित समाज की संकल्पना प्रस्तुत की। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धान्त निष्पक्षता के रूप में समान अधिकारों वाले स्वतंत्र नागरिकों के एक ऐसे समाज का वर्णन करता है जो एक समतावादी आर्थिक व्यवस्था में मिलकर सहयोगात्मक रूप में कार्य करते है। न्याय की अपनी उदार राजनीतिक अवधारणा के माध्यम से रॉल्स का सिद्धान्त राजनीतिक शक्ति के माध्यम से वैध उपयोग के लिए ढ़ांचा प्रदान करता है। रॉल्स न्याय को निष्पक्षता के रूप में परिभाषित करते है, इस विचार की विशिष्ट व्याख्याओं के संदर्भ में कि नागरिक स्वतंत्र और समान है तो समाज को भी निष्पक्ष होना चाहिए। नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए किसी न किसी रूप में सामाजिक सहयोग आवश्यक है। न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा का उद्देश्य उदार समाज की प्रमुख राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं की न्यायपूर्ण व्यवस्था का वर्णन करना है। प्रस्तुत शोध पत्र में रॉल्स की न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा का अध्ययन किया गया है तथा इसमें रॉल्स के न्याय सिद्धान्त की विभिन्न विचारकों द्वारा की गई आलोचनाओं का अध्ययन भी किया गया है। निष्कर्ष में यह तर्क दिया गया है कि अज्ञानता के पर्दे के कारण सिद्धान्त की उपयोगिता कम हो गई।

संकेताक्षर—*न्याय, निष्पक्षता, अधिकार, कर्तव्य, सामाजिक असमानता, समानता, मूल स्थिति, सद्गुण*

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही दार्शनिक न्याय की अवधारणा पर लगातार विचार-विमर्श करते रहे हैं। इतिहास में न्याय की अनेक प्रकार से व्याख्या हुई है। कभी न्याय को 'जैसी करनी वैसी भरनी' का पर्याय माना गया तो कभी न्याय को ईश्वर की इच्छा और पूर्व जन्म के कर्मों का फल माना गया। परिणामस्वरूप न्याय का आधुनिक दृष्टिकोण अपनी पारंपरिक अवधारणाओं से विकसित हुआ है। न्याय की पारंपरिक अवधारणा न्यायी व्यक्ति पर केंद्रित थी अर्थात् यह एक सद्गुणी व्यक्ति के विकास से संबंधित थी। न्याय की आधुनिक अवधारणा न्यायपूर्ण समाज पर केंद्रित है अर्थात यह संसाधनों के आवंटन से संबंधित है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार न्याय सामाजिक जीवन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के आचरण का समाज के व्यापक कल्याण के साथ संबंध स्थापित किया गया है। परंपरागत विचारकों ने न्याय की अवधारणा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा, जबकि आधुनिक विचारक इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं। जॉन रॉल्स आधुनिक राजनीतिक दार्शनिकों में से एक हैं जिन्होंने न्याय के आधुनिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। न्याय की निष्पक्षता के रूप में उनकी अवधारणा आधुनिक दृष्टिकोण को पुष्ट करती है।

जॉन रॉल्स ने 1971 में प्रकाशित अपनी पुस्तक "ए थ्योरी ऑफ जस्टिस" में न्याय के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। तब से दार्शनिकों और विभिन्न विद्वानों ने उनके विचारों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। प्रस्तुत शोधपत्र में रॉल्स की न्याय निष्पक्षता की अवधारणा का अध्ययन किया गया है।

न्याय की अवधारणा

न्याय क्या है? यह प्रश्न प्राचीन काल से ही दार्शनिकों के मन को झकझोरता रहा है। न्याय की सही अवधारणा को गढ़ने के लिए विभिन्न अवधारणाएँ और सिद्धांत विकसित किए गए हैं। आम तौर पर न्याय की अवधारणा का निर्माण पारंपरिक और आधुनिक युगों के बीच अलग-अलग होता है। पारंपरिक और आधुनिक युगों में न्याय की अवधारणा एक न्यायप्रिय व्यक्ति के विकास से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए न्याय की अवधारणा ने मनोविज्ञान और तत्व मीमांसा का आयाम लिया। इसके तहत न्याय का प्रश्न एक नैतिक, अच्छे और गुणी व्यक्ति पर केंद्रित था अर्थात् व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं इसलिए राजनीतिक दर्शन को व्यक्तियों में श्रेष्ठ चरित्र को संवारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब समाज में गुणी व्यक्ति होंगे तो वे सामाजिक संस्थाओं में न्यायपूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। गाबा के अनुसार परम्परागत दृष्टिकोण में न्याय का ध्यान व्यक्तियों को कानून, रीति-रिवाजों और परंपराओं द्वारा निर्धारित उनकी स्थिति से जुड़े कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार करने पर केंद्रित था।

प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में तर्क दिया कि न्याय व्यक्तिगत गुण का निर्माण करता है। इसका अर्थ है कि समाज के सदस्यों को समाज में अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। प्लेटो ने इस प्रश्न का उत्तर देने पर ध्यान केंद्रित किया कि "मुझे किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए?" प्लेटो के अनुसार एक न्यायपूर्ण व्यक्ति वह है जिसकी इच्छाएँ तर्क द्वारा संचालित होती हैं। प्लेटो अपने न्याय सिद्धान्त का प्रतिपादन मानव स्वभाव के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से आरम्भ करता है। उसके अनुसार मानव आत्मा में तीन प्रधान गुण होते है। व्यक्तिगत दृष्टि से व्यक्ति को तभी न्यायशील कहा जा सकता है जब उसमें तीनों गुणों का पूर्ण सामंजस्य हो और उसका सम्पूर्ण आचरण बुद्धि के द्वारा अनुशासित हो। इसी प्रकार प्लेटो ने समाज को भी तीन वर्गों में विभाजित किया है और कहा है कि समाज में न्याय की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसका प्रत्येक घटक अपने प्राकृतिक गुणों के अनुसार आचरण करे। कन्फ्यूशियस के अनुसार न्याय का अर्थ है दायित्वों का सम्मान करना अर्थात् समाज में हर कोई कानून, रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार समाज में किसी न किसी दायित्व के अधीन है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।

अरस्तू के अनुसार न्याय समस्त सद्गुणों का समूह है। न्याय सद्गुण का व्यवहारिक रूप है अर्थात जब सद्गुण कार्य रूप में परिणित होता है तो वह न्याय का रूप ले लेता है। अरस्तू के अनुसार न्यायी व्यक्ति वही है जो दूसरों के साथ न्यायपूर्ण आचरण करता है। अरस्तू ने न्याय को दो भागों में बांटा है—सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। अरस्तू के अनुसार सामान्य न्याय सम्पूर्ण अच्छाई का नाम है जबकि विशिष्ट न्याय में अरस्तू वितरण की प्रकृति को अपनाता है। राज्य द्वारा पद, पुरस्कार व लाभों का बंटवारा अरस्तू आनुपातिक समानता के आधार पर वितरित करना चाहता है। अरस्तू के अनुसार न्यायपूर्ण वह है जो आनुपातिक है तथा अन्यायपूर्ण वह है जो अनुपात का उल्लंघन करता है।

मार्क्स ने न्याय के अपने सिद्धांत को वितरणात्मक के रूप में सूत्रबद्ध किया। मार्क्स के लिए एक न्यायपूर्ण समाज वह है जो सामाजिक वर्ग की परवाह किए बिना सभी की जरूरतों को पूरा करता है। मार्क्स की न्याय की अवधारणा को उनके इस सूत्र में संक्षेपित किया जा सकता है- सभी से उनकी क्षमताओं के अनुसार, सभी को उनकी जरूरतों के अनुसार। यह मार्क्स का वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत है।

मार्क्स की न्याय की अवधारणा समाजवादियों की न्याय की अवधारणा से मेल खाती है। लुडविग वॉन का कहना है कि "समाजवाद न्यायपूर्ण वितरण के सिद्धांत के अलावा और कुछ नहीं है। समाजवादियों के लिए न्यायपूर्ण समाज वह है जो सामाजिक स्थिति से परे सभी की जरूरतों को पूरा करता है।"

आधुनिक युग में न्याय का चरित्र बदल गया है और अब यह न्यायपूर्ण समाज पर केंद्रित है न कि केवल व्यक्तियों पर। न्याय की पारंपरिक अवधारणा का उद्देश्य भी न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना था, लेकिन समाज को आबाद करने के लिए न्यायपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण करना था। आधुनिक युग में न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा संसाधन आवंटन के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। दूसरे शब्दों में, न्याय की आधुनिक अवधारणा इस बात से संबंधित है कि किसे, क्या, कैसे और क्यों मिलता है। इसका मतलब है कि न्याय की आधुनिक अवधारणा प्राथमिक वितरणात्मक है।

उपर्युक्त विचार रॉल्स द्वारा न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा के विकास से पहले न्याय के विभिन्न विचारों को दर्शाते है। इन विचारकों ने न्याय को निष्पक्षता के रूप में तैयार करने तथा इसे प्रभावित करने में योगदान दिया है।

ISSN 2348-3857

न्याय निष्पक्षता के रूप में

गाबा के अनुसार, "सामाजिक न्याय की मुख्य समस्या उन लाभों का उचित आवंटन तय करना है जो उपलब्ध हैं या जिन्हें सामाजिक संगठन के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है।" यह कथन न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा के निर्माण में रॉल्स के प्रस्थान बिंदु का सार है। रॉल्स ने राजनीतिक दर्शन को समाज में लाभ और वस्तुओं के आवंटन को निर्धारित करने के लिए बनाई गई गतिविधि के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि "न्याय को एक अच्छे समाज की सर्व-समावेशी दृष्टि के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए, यह किसी भी ऐसी अवधारणा का केवल एक हिस्सा है।" दूसरे शब्दों में एक न्यायोचित समाज को संक्षेप में अच्छा घोषित नहीं किया जा सकता और अच्छे समाज को संक्षेप में न्यायपूर्ण घोषित नहीं किया जा सकता। ये पूरी तरह से अलग अवधारणाएँ हैं। यह स्थिति अरस्तू के दृष्टिकोण के विपरीत है जिन्होंने कहा था कि "न्याय सद्गुण का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि संपूर्ण सद्गुण है।"

रॉल्स के अनुसार न्याय को इसके व्यापक संबंधों को ध्यान में रखे बिना केवल वितरणात्मक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, "हम सामान्य रूप से, न्याय की अवधारणा का मूल्यांकन केवल इसकी वितरणात्मक भूमिका से नहीं कर सकते हैं। हालाँकि यह भूमिका न्याय की अवधारणा की पहचान करने में उपयोगी हो सकती है। अतः हमें इसके व्यापक संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए।" यह स्थिति समाजवादियों के विरूद्ध है जो न्याय को केवल वितरण के सिद्धांत के रूप में परिभाषित करते हैं। रॉल्स ने तर्क दिया कि हालाँकि कई अलग-अलग चीजों को न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन निष्पक्षता के रूप में न्याय की उनकी अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि "न्याय का प्राथमिक विषय समाज की बुनियादी संरचना है, अर्थात् प्रमुख सामाजिक संस्थाएँ अधिकारों और कर्तव्यों को कैसे वितरित करती हैं और सामाजिक सहयोग से लाभों का विभाजन कैसे निर्धारित करती हैं।"

इस प्रकार रॉल्स की न्याय की अवधारणा न्याय की आधुनिक अवधारणा का चरित्र लेती है, जिसे लाभ और वस्तुओं, अधिकार और कर्तव्यों के आवंटन के संदर्भ में एक न्यायपूर्ण समाज से संबंधित होने के लिए तैयार किया गया है। रॉल्स ने कहा कि निष्पक्षता के रूप में न्याय की उनकी अवधारणा "न्याय की एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में अभिप्रेत है" जिसे "आधुनिक संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियादी संरचना" पर लागू किया जा सकता है।

उपर्युक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए रॉल्स ने "निष्पक्षता के रूप में न्याय" की अवधारणा को दो सिद्धांतों के रूप में तैयार किया जो इस प्रकार हैं—

पहला—प्रत्येक व्यक्ति को समान बुनियादी स्वतंत्रताओं में से सबसे व्यापक स्वतंत्रता का समान अधिकार होना चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रता के साथ निभा सकता हो।

दूसरा—सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे—

(क) इसमें हीनतम स्थिति वाले लोगों को अधिकतम लाभ हो और

(ख) ये विषमताएँ उन पदों और स्थितियों के साथ जुड़ी हो जो अवसर की उचित समानता की शर्तों पर सबके लिए सुलभ हों।

इनमें से प्रत्येक सिद्धांत मूल संरचना के एक अलग हिस्से पर लागू होता हैं और दोनों न केवल बुनियादी अधिकारों, स्वतंत्रताओं और अवसरों से संबंधित हैं, बल्कि समानता के दावे से भी संबंधित हैं। जबकि दूसरे सिद्धांत का दूसरा भाग इन संस्थागत गारंटियों के महत्व को रेखांकित करता है। जब पहले को दूसरे पर प्राथमिकता दी जाती है तो दोनों सिद्धांत मिलकर उन बुनियादी संस्थानों को विनियमित करते हैं जो इन मूल्यों को साकार करते हैं।

रॉल्स ने कहा कि पहला सिद्धांत दूसरे सिद्धांत से अधिक प्राथमिकता रखता है और दूसरे सिद्धांत में अवसर की निष्पक्ष समानता भेदमूलक सिद्धान्त पर प्राथमिकता रखती है। इसका मतलब यह है कि सिद्धांतों को लागू करने में पूर्व सिद्धांतों को किसी भी अन्य से पहले पूरी तरह से संतुष्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पहला सिद्धांत संवैधानिक अनिवार्यताओं को शामिल करता है जबकि दूसरे सिद्धांत के लिए अवसर की निष्पक्ष समानता की आवश्यकता होती है। रॉल्स के अनुसार "अवसर की निष्पक्ष समानता" से उनका तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के पदों तक सभी व्यक्तियों की समान पहुंच हो। अर्थात् जिनकी योग्यता और क्षमता का

समान स्तर है तथा जो पद प्राप्ती की समान इच्छा रखते है उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। अवसर की निष्पक्ष समानता में इस बात पर बल दिया जाता है कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति देखे बिना पद प्राप्ति के समान अवसर मिलने चाहिए। रॉल्स के अनुसार पहला सिद्धांत बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों के आवंटन में समानता की मांग करता है जबकि दूसरा सिद्धांत मानता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ तभी न्यायसंगत हैं जब वे सभी के लिए विशेष रूप से समाज के सबसे हीनतम स्थिति वाले लोगों के लिए लाभकारी हो। यह स्थिति उपयोगितावाद के बहुसंख्यकवादी तर्क को स्पष्ट रूप से खारिज करती है जो इस आधार पर कुछ लोगों के दुःख को उचित ठहराता है कि अधिकांश लोग सुखी हैं।

रॉल्स की न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा

रॉल्स की 'निष्पक्षता' की अवधारणा को समझना उनके न्याय के सिद्धांत की समग्र समझ के लिए महत्वपूर्ण है। निष्पक्षता के रूप में न्याय कुछ बुनियादी मान्यताओं पर आधारित है कि "समाज स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के बीच सहयोग की एक निष्पक्ष प्रणाली है"। समाज की मूल संरचना यह है कि इसमें सामाजिक असमानताएँ मौजूद हैं जो व्यक्ति के तर्कसंगत निर्णयों से परे हैं। व्यक्ति की जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति समाज से प्राप्त होती है। रॉल्स ने तर्क दिया कि "नागरिक स्वेच्छा से समाज में शामिल नहीं होते हैं बल्कि इसमें पैदा होते हैं" फिर भी वे स्वतंत्र और समान हैं। हालाँकि ऐसा समाज सामाजिक सहयोग के लिए एक रूपरेखा पर सहमत होगा। वे जिस भी रूपरेखा या सिद्धांत पर वे अंततः सहमत होंगे वह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होगा। इसलिए उन्होंने इन सिद्धांतों को "निष्पक्षता के रूप में न्याय" कहा। रॉल्स ने कहा कि वे जिन सिद्धांतों पर सहमत होंगे वे इस प्रकार होंगे—

(1) प्रत्येक व्यक्ति के पास विस्तृत स्वतंत्रता का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो दूसरों की वैसी स्वतंत्रता के साथ निभा सकता हो तथा

(2) सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दो शर्तों को पूरा करना होता है—पहला वे समाज के सबसे कम-सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए सबसे अधिक लाभकारी होनी चाहिए। दूसरा ये विषमताएँ उन पदों ओर स्थितियों के साथ जुड़ी हो जो अवसर की निष्पक्ष समानता की शर्तो पर सबके लिए खुली हो।

रॉल्स ने कहा कि "निष्पक्षता के रूप में न्याय उस विचार से शुरू होता है जिसे सामाजिक सहयोग की एक निष्पक्ष प्रणाली के रूप में माना जाना चाहिए। अर्थात् न्याय की निष्पक्षता की अवधारणा में निष्पक्षता की धारणा केवल सामाजिक सहयोग की अवधारणा के संदर्भ में ही उचित रूप से सार्थक है जो समानता और स्वतंत्रता का आधार है। सहयोग की अवधारणा जो रॉल्स की निष्पक्षता की धारणा को परिभाषित करती है, उसे इसके तीन विशिष्ट तत्वों द्वारा समझा जा सकता है। एक सहयोग सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त नियमों द्वारा निर्देशित होता है जिसे सहयोग करने वाले लोग अपने आचरण को उचित रूप से विनियमित करने के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरा इसमें सहयोग की निष्पक्ष शर्तें शामिल हैं जिसके तहत बुनियादी अधिकार और कर्तव्य सम्मिलित हैं जिन्हें सभी प्रतिभागी पारस्परिक रूप से स्वीकार करते हैं। तीसरा सहयोग के लिए सभी प्रतिभागियों को उनके अपने दृष्टिकोण से देखे जाने पर उस अच्छे के संदर्भ में तर्कसंगत लाभ की आवश्यकता होती है जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। रॉल्स ने कहा कि न्याय की सार्वजनिक अवधारणा को सामाजिक सहयोग की निष्पक्ष शर्तों द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक न्याय का मूल प्रश्न यह है कि "स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के रूप में माने जाने वाले नागरिकों के बीच सामाजिक सहयोग की शर्तों को निर्दिष्ट करने के लिए न्याय की सबसे उपयुक्त अवधारणा क्या है।" इस प्रश्न की खोज ने रॉल्स को न्याय को निष्पक्षता के रूप में देखने के विचार की ओर अग्रसर किया।

मूल स्थिति

मूल स्थिति का विचार उन परिस्थितियों को समझने के लिए पेश किया गया है जिसके तहत निष्पक्षता के रूप में न्याय विकसित हो सकता है। रॉल्स के अनुसार "निष्पक्षता के रूप में न्याय सामाजिक विरोधाभास के सिद्धांत को फिर से गढ़ता है।" रॉल्स ने कहा कि "निष्पक्षता के रूप में न्याय में समानता की मूल स्थिति सामाजिक विरोधाभास के पारंपरिक सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था के अनुरूप है।" लेकिन रॉल्स द्वारा अपनाई गई सामाजिक अनुबंध पद्धति मूल स्थिति को इस तरह से नहीं दर्शाती है कि लोग किसी विशेष समाज में प्रवेश करते हैं या

सरकार का एक विशेष रूप स्थापित करते हैं। रॉल्स ने तर्क दिया था कि "नागरिक स्वेच्छा से समाज में शामिल नहीं होते बल्कि वे इसमें जन्म लेते हैं"। मूल स्थिति का महत्व एक काल्पनिक स्थिति में प्रतिनिधित्व के एक उपकरण के रूप में काम करना है जो निष्पक्ष है। मूल स्थिति में "लोगों को पहले से तय करना है कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ अपने दावों को कैसे विनियमित करना है।" मूल स्थिति में सामाजिक सहयोग में भागीदार लोग एक साथ और एक संयुक्त कार्य में उन सिद्धांतों को चुनते हैं जिनके तहत बुनियादी अधिकारों और कर्तव्यों को आवंटित करना है तथा सामाजिक लाभों के निर्णय को निर्धारित करना है।

मूल स्थिति उचित प्रारंभिक यथास्थिति है और इस प्रकार इसमें किए गए मौलिक समझौते निष्पक्ष हैं। यह "निष्पक्षता के रूप में न्याय" नाम की विशेषता को स्पष्ट करता है। यह इस विचार को व्यक्त करता है कि न्याय के सिद्धांतों पर एक प्रारंभिक स्थिति में सहमति होती है जो निष्पक्ष होती है।

रॉल्स ने कहा कि "निष्पक्षता के रूप में न्याय में समानता की मूल स्थिति सामाजिक अनुबंध के पारंपरिक सिद्धांत में प्रकृति की स्थिति के अनुरूप है"। मूल स्थिति को एक विशुद्ध रूप से काल्पनिक स्थिति के रूप में समझा जाता है जिसे इस तरह से चित्रित किया जाता है कि यह न्याय की एक निश्चित अवधारणा को जन्म दे सके, जिसमें कोई भी व्यक्ति समाज में अपना स्थान अपनी वर्ग स्थिति या सामाजिक स्थिति नहीं जानता है न ही कोई व्यक्ति प्राकृतिक संपत्ति और क्षमताओं, अपनी बुद्धि, शक्ति और इस तरह के वितरण में अपने भाग्य को जानता है"। रॉल्स ने न्याय की सर्वसम्मत प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक विशेष तर्क प्रणाली का सहारा लिया है। इसके तहत यह कल्पना की है कि यदि व्यक्तियों को उनकी वर्तमान सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से अलग कर दिया जाए तो वे भावी समाज में अपने हितों की अधिकतम वृद्धि के लिए सामाजिक जीवन के नियमों, सिद्धान्तों व संस्थाओं का पुनर्निमाण किस प्रकार करेंगे। इस काल्पनिक स्थिति को रॉल्स ने मूल स्थिति कहा। ऐसी स्थिति में लोग परस्पर सहमति से जो नियम स्वीकार करेंगे उन्हें विश्वव्यापी आधार पर न्याय के नियम मान सकते है। मूल स्थिति का वर्णन करते हुए रॉल्स ने कहा कि ये काल्पनिक स्थिति है, जिसमें मनुष्य अज्ञान के पर्दे के पीछे बैठा है। आम तौर पर मूल स्थिति केवल एक "प्रतिनिधित्व का उपकरण" है जो सामाजिक सहयोग के समझौते पर पहुंचने की स्थिति का वर्णन करता है।

विश्लेषण

रॉल्स के विचारों की महत्त्वाकांक्षी और प्रगतिशील के रूप में प्रशंसा की गई है। हालांकि, अनेक आलोचकों ने भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से रॉल्स के न्याय सिद्धान्त की आलोचनाएँ की है। समष्टिवादियों के अनुसार रॉल्स का न्याय सिद्धान्त परम्परागत उदारवादी पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है, जो इस बात पर बल देता है कि धनवान लोगों के धन संचित करने पर गरीबों को भी लाभ होता है। मार्क्सवाद के अनुसार आर्थिक और सामाजिक तथ्यों की जानकारी के बिना न्याय का सिद्धान्त निर्धारित करना तर्कसंगत नहीं है। स्वेच्छातंत्रवादियों के अनुसार रॉल्स ने समानता पर अत्यधिक बल देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता का बलिदान कर दिया है। रॉल्स के न्याय सिद्धान्त पर मेरी पहली आपत्ति है कि यह सामाजिक, आर्थिक विषमताओं को बढ़ावा देता है। अवसर की उचित समानता का जो सिद्धान्त रॉल्स ने बताया है उससे हीनतम लोगों की स्थिति में कोई विशेष सुधार दिखाई नहीं देता है। दूसरा यह है कि हीनतम स्थिति वाले लोगों की पहचान करना आसान नहीं है। रॉल्स ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आधार पर व्यक्तियों को हीनतम माना जाएगा।

तीसरा बुनियादी दोष यह है कि अज्ञानता के पर्दे से समस्या उत्पन्न होगी। मूल स्थिति में व्यक्तियों को मुख्य रूप से न्याय की अवधारणा को अपनाने के लिए अज्ञानता के पर्दे के नीचे लाया गया था। न्याय की अवधारणा को अपनाने के बाद अज्ञानता के पर्दे को हटाना था या उन्हें अपनी विभिन्न सामाजिक स्थितियों में वापस जाना था। उस बिंदु पर एक समस्या उत्पन्न होगी।

जब अज्ञानता का पर्दा हट जाता है तो मूल स्थिति में भागीदार अब प्राथमिक वस्तुओं को नहीं पहचान पाएंगे जिन्हें उन्होंने अपना कर आगे बढ़ाया था। उनमें से कुछ लोग तर्क देंगे कि अगर उन्होंने कभी उन प्राथमिक वस्तुओं को अपना कर आगे बढ़ाया था तो उन्होंने ऐसा अपनी अज्ञानता के कारण किया था। वास्तव में मूल स्थिति में लोग कमोबेश गुलामों की तरह थे। मूल स्थिति में लोग एक बार अज्ञानता का पर्दा हट जाने के बाद अब न्याय की अवधारणा को स्वीकार नहीं करेंगे।

निष्कर्ष

इस शोधपत्र की शुरुआत प्लेटो से करते हुए न्याय की अवधारणा की संक्षिप्त ऐतिहासिक समीक्षा से हुई। इसके बाद रॉल्स की "न्याय के रूप में निष्पक्षता" की अवधारणा का अध्ययन किया गया। विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि रॉल्स के सिद्धांत ने समाज की एक बुनियादी समस्या यानी असमानता को संबोधित करना शुरू किया। इसे प्राप्त करने के लिए रॉल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय के माध्यम से सामाजिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति का प्रयास किया है। उन्होंने सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करना माना है। शोधपत्र का निष्कर्ष है कि यद्यपि सिद्धांत उदात्त और दिलचस्प है लेकिन अज्ञानता के आवरण ने इसकी उपयोगिता के महत्व को कम कर दिया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रॉल्स, जॉन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, हावर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज, लन्दन, 1971, पृ.सं. 57
2. दाधीच, नरेश, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धान्त, आविष्कार पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2003, पृ.सं. 8
3. गाबा, ओमप्रकाश, राजनीति विचारक विश्वकोष, मयूर पेपरबैक्स, दिल्ली, 2014, पृ.सं. 323
4. गाबा, ओमप्रकाश, राजनीति सिद्धान्त की रूपरेखा, मयूर पेपरबैक्स, दिल्ली, 2016, पृ.सं. 385
5. रॉल्स, जॉन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1993, पृ.सं. 29
6. सेन, अमर्त्य, न्याय का स्वरूप, राजपाल एण्ड सन्स, द्वितीय आवृति, दिल्ली, 2014, पृ.सं. 206
7. शर्मा, प्रभुदत्त, पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2016, पृ.सं. 118
8. रॉल्स, जॉन, न्याय के रूप में निष्पक्षता : एक पुनर्कथन, संपादित एरिन केली, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कैम्ब्रिज, लन्दन, 2001, पृ.सं. 140
9. फड़िया, बी.एल, पश्चिमी राजनीतिक विचारक, कॉलेज बुक हाउस, जयपुर, 1996, पृ.सं. 24
10. मुखर्जी, सुब्रत, रामास्वामी सुशीला, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, हिन्दी कार्यालय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2000, पृ.सं. 87
11. सेन, अमर्त्य, विषमता एक पुनर्विवेचन, हिन्दी अनुवादक नरेश नदीम, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., दिल्ली, 1999, पृ.सं. 93
12. एडोर, जे. एडोर, जॉन रॉल्स कान्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस एज फेयरनेस, पिनिसी डिस्क्रेशन रिव्यू जर्नल, 4(1), 2020, पृ.सं. 179-190
13. रॉल्स, जॉन, जस्टिस ऐज फेयरनेस, द फिलोसोफिकल रिव्यू, 67 (2),1958, पृ.सं. 164-194
14. डोटी, एच.ए., जॉन रॉल्स और उदारवाद का विकास : इनोवेशन जर्नल, 24 (3), 2019, पृ.सं. 1-29
15. सैड, एम.वाई., यति नूरहयाति, ए रिव्यू रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ, एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिर्सोसेज, (INJURLENS), 1(1), 2021, पृ.सं. 29-36